

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 21-3-13

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 50 लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	-187.750

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक

रुपये एक करोड़ सतासी लाख पचहत्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 7281.05 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 20.23 लाख सहित कुल ₹ 7301.28 लाख (तिहत्तर करोड़ एक लाख अठाईस हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

238

राँची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/सरायकेला/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/कोडरमा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/दुमका/पाकुड़/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

238

राँची, दिनांक :- 21-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2012-2013		विरसुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										विरसुत शीर्ष-02-यात्रा खर्च		विरसुत शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च										विरसुत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरसुत शीर्ष-07-अन्य खर्च		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	देसल0टी0सी0	देशीय यात्रा खर्च	कार्यालय खर्च	किराया दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मर्दी	विद्युत खर्च	मोटरगाड़ियां खर्च एवं मरम्मत	अन्य खर्च	कुल योग	अभियुक्ति												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-पाकुड़	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	156.000 -30.000 126.000	96.000 -20.000 76.000	252.000 -50.000 202.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.320 0.000 0.320	0.350 0.000 0.350	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.070 -0.070 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.900 0.000 0.900	0.000 0.000 0.000	253.640 -50.070 203.570													
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	133.000 0.000 133.000	77.710 0.000 77.710	210.710 0.000 210.710	0.000 0.000 0.000	0.020 0.000 0.020	1.170 0.000 1.170	0.350 0.000 0.350	1.090 0.000 1.090	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.000 0.200 0.200	0.000 0.000 0.000	0.900 0.000 0.900	0.000 0.000 0.000	214.340 0.200 214.540													
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	106.000 0.000 106.000	66.000 0.000 66.000	172.000 0.000 172.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	1.454 0.171 1.625	0.350 0.000 0.350	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.150 0.160 0.310	0.750 0.000 0.750	0.400 0.000 0.400	0.900 0.450 1.350	0.500 0.000 0.500	176.704 0.781 177.485													
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-सरायकेला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	97.000 -10.000 87.000	59.270 -5.000 54.270	156.270 -15.000 141.270	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.553 -0.170 1.383	0.350 0.000 0.350	1.000 0.000 1.000	0.000 0.000 0.000	0.120 -0.085 0.035	0.650 -0.050 0.600	0.250 -0.250 0.000	1.200 0.000 1.200	0.100 -0.075 0.025	161.493 -15.630 145.863													
15	लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	9.000 -3.000 6.000	6.000 -2.570 3.430	15.000 -5.570 9.430	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.320 -0.300 0.020	0.350 0.000 0.350	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.070 0.000 0.070	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.900 0.000 0.900	0.000 0.000 0.000	17.040 -5.870 11.170													
16	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	134.300 0.000 134.300	70.700 0.000 70.700	205.000 0.000 205.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.784 0.000 0.784	0.350 0.000 0.350	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.150	0.500 0.000 0.500	0.000 0.250 0.250	0.900 -0.900 0.000	0.000 0.000 0.000	207.934 -0.650 207.284													
17	निदेशक , भुवनेश्वर जल निदेशालय, राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	32.000 -4.000 28.000	16.000 -3.000 13.000	48.000 -7.000 41.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.446 -0.446 0.000	0.570 0.000 0.570	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.150 0.250	0.150 -0.025 0.125	0.000 0.000 0.000	1.400 -0.500 0.900	0.000 0.000 0.000	50.666 -7.821 42.845													
18	भुवनेश्वर जल सर्वेक्षण प्रमंडल-राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	46.000 -2.870 43.130	24.000 0.000 24.000	70.000 -2.870 67.130	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.350 -0.269 0.081	0.450 0.000 0.450	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.120 0.000 0.120	0.350 -0.050 0.300	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	72.070 -3.189 68.881													
19	भुवनेश्वर जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	20.000 -4.720 15.280	10.120 -4.000 6.120	30.120 -8.720 21.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.450 0.000 0.450	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.050 -0.040 0.010	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	32.020 -8.760 23.260													
	अतिरिक्त आवंटन का योग		-115.430	-72.370	-187.800	0.000	-0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	-187.750													

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक रुपये एक करोड़ सतासी लाख पचहत्तर हजार मात्र

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शताथी)
प्रधान सचिव

238
21-3-13